ग्रा0वि0–06– NRLM/01-24/2025....9589523

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक– 10/09/2025

विषयः– राज्य के सभी प्रखण्डों में जीविका समूहों के माध्यम से बेसहारा गोवंशीय पशुओं के संरक्षण एवं समुचित प्रबंधन हेतु "बिहार जीविका गोधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना" लागू करने की स्वीकृति।

राज्य सरकार आम जनता को बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित है। साथ ही कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य के कृषि एवं आनुषंगिक गतिविधियों के विकास एवं प्रबंधन सहित रोजगार सृजन के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जीविका स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है , जिनके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विकास तथा रोजगार सृजन के कई कार्य किये जा रहे है।

2. प्रायः देखा जा रहा है कि पशुपालक किसानों द्वारा गोवंशीय पशुओं की आर्थिक रूप से उपयोगिता समाप्त हो जाने पर अथवा कम उम्र में ही उपयोगी नहीं रह जाने के कारण उन्हें बेसहारा छोड़ दिया जाता है। ये बेसहारा पशु न केवल ग्रामीण क्षेत्र में बल्कि शहरी क्षेत्र में भी यत्र–तत्र भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं , और प्रायः आम जनता के सुचारू आवागमन में न केवल बाधा पहुँचाते हैं बल्कि कई बार तो इन से जान–माल का खतरा भी उत्पन्न होता है। साथ ही कभी–कभी असामाजिक तत्वों द्वारा इनके विरूद्ध अवैध गतिविधि भी की जाती है, जिसके कारण विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न होती है। ये बेसहारा पशु कुपोषण सहित विभिन्न प्रकार के बीमारियों के भी शिकार बनते हैं। कई बार तो सड़क पर पड़े अवांछित सामग्री को खाने से इनकी मृत्यु भी हो जाती है।

3. विदित हो कि गोवंशीय पशु एक महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन हैं और समुचित प्रबंधन द्वारा इस संसाधन का उपयोग कृषि के विकास एवं रोजगार सृजन के लिए किया जा सकता है। वर्त्तमान में कई राज्यों द्वारा ऐसे बेसहारा पशुओं की देख–रेख एवं समुचित प्रबंधन के लिए अनुदान आधारित योजनाएं चलायी जा रही है ।

4. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा जीविका स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इन बेसहारा गोवंशीय पशुओं के संरक्षण एवं समुचित प्रबंधन

हेतु ''बिहार जीविका गोधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना'' लागू करने के संबंध में निम्न निर्णय लिया गया है:–

i. यह योजना सभी प्रखण्डों में चरणबद्ध तरीके से लागू होगी।

ii. प्रथम चरण में जिला मुख्यालय के आस–पास के एक प्रखण्ड में पाँच एकड़ के भूखंड को संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा चिन्हित कर उसे मनरेगा के माध्यम से**''जीविका गोधन केन्द्र''** के रूप में विकसित किया जायेगा। मनरेगा के माध्यम से निम्नांकित कार्य किये जायेगें:–

(क) उक्त क्रम में चयनित भू–खण्ड पर चाहरदीवारी सहित न्यूनतम 100 गोवंशीय पशुओं के लिए शेड का निर्माण किया जायेगा। आवश्यकतानुसार ऐसे शेडों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी।

(ख) चारा गृह, छोटा तालाब सहित अन्य आनुषंगिक व्यवस्था की जायेगी।

(ग) चाहर दीवारी के साथ छायादार वृक्ष लगाये जायेंगे।

iii. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अन्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से वर्मी कम्पोस्ट और बॉयोगैस प्लांट की व्यवस्था की जायेगी। गौमूत्र, गोबर इत्यादि द्वारा विपणन योग्य सामग्री का निर्माण करने हेतु कार्यशाला का निर्माण किया जायेगा।

iv. जीविका गोधन केन्द्र के निर्माण के पश्चात् उसे इच्छुक जीविका स्वयं सहायता समूह/संकुल स्तरीय संगठन को संचालन हेतु सौंप दिया जायेगा।

v. संबंधित जीविका दीदियों द्वारा बेसहारा गोवंशीय पशुओं को चिन्हित कर इस केन्द्र में संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन के सहयोग से लाया जायेगा।

vi. प्रत्येक ऐसे पशु का इयर टैगिंग जिला प्रशासन एवं जिला पशुपालन कार्यालय के सहयोग से करते हुए उनका रिकार्ड रखा जायेगा।

vii. संबंधित जीविका स्वयं सहायता समूह/संकुल स्तरीय संगठन इन गोवंशीय पशुओं का चारा–पानी सहित समुचित देख–भाल एवं उक्त गोधन केन्द्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा।

viii. इस के लिए प्रत्येक जीविका गोधन केन्द्र के संचालन हेतु संबंधित जीविका स्वयं सहायता समूह/संकुल स्तरीय संगठन

को प्रति पशु 50 रूपये प्रतिदिन की दर से अनुदान की राशि विभाग द्वारा दी जायेगी।

ix. प्रत्येक जीविका गोधन केन्द्र के 24x7 संचालन हेतु संबंधित जीविका स्वयं सहायता समूह/संकुल स्तरीय संगठन एक प्रबंधक सहित न्यूनतम आवश्यक मानव बल की व्यवस्था करेगा, जिसके लिए उसे प्रति वर्ष न्यूनतम 6 लाख का अनुदान विभाग द्वारा दिया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर विभाग द्वारा इस राशि में वृद्धि की जा सकेगी।

x. गोधन केन्द्र के रख–रखाव, बेसहारा पशुओं के परिवहन और विद्युत प्रभार तथा अन्य आकस्मिक व्यय हेतु संबंधित जीविका समूह को 3 (तीन) लाख रूपये का अनुदान प्रति वर्ष विभाग द्वारा दिया जायेगा। इसकी समीक्षा समय–समय पर विभाग द्वारा की जायेगी और समीक्षोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। साथ ही पेय जल तथा विद्युत की समुचित व्यवस्था, जिसमें सौर ऊर्जा सहित अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा, के लिए एक वार एक लाख रूपये अनुदान की राशि प्रदान की जायेगी।

xi. उक्त गोधन केन्द्र पर जीविका समूह द्वारा गोधन से संबंधित तथा अन्य पशुपालन संबंधी आर्थिक गतिविधियां संचालित की जायेगी, जिससे प्राप्त होने वाले आय को जीविका समूह द्वारा उपयोग में लाया जा सकेगा।

xii. जिला प्रशासन उक्त केन्द्र के संचालन में और बेसहारा पशुओं को उक्त केन्द्र पर पहुंचाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

xiii. इस योजना के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी एवं राज्य स्तर पर विभागीय सचिव सभी हित धारकों के साथ समन्वय स्थापित कर कठिनाई को दूर करने के लिए सक्षम होंगे।

5. इस योजना में वर्त्तमान चरण में कुल राशि रू0 1073.50 लाख (दस करोड़ तिहत्तर लाख पचास हजार) का व्यय संभावित है, जिसका वहन महिला सशक्तिकरण से संबंधित बजट शीर्ष– मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य– शीर्ष–02 समाज कल्याण लघुशीर्ष–103–महिला कल्याण, उप शीर्ष–0132–महिला सशक्तिकरण विषय शीर्ष–3106– सहायक अनुदान–गैर वेतन, विपत्र कोड 42–2235021030132 से किया जायेगा। समय–समय पर आवश्यकतानुसार इस योजना पर होने वाले लागत में वृद्धि के अनुरूप विभाग उपर्युक्त राशि में वित विभाग की सहमति से वृद्धि कर सकेगा।

6. इस योजना का क्रियान्वयन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के माध्यम से कराया जायेगा, जिसके द्वारा विभिन्न केन्द्र एवं राज्य सरकार की एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों तथा चैरिटेबुल ट्रस्टों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों की समीक्षा कर उनका सहयोग इस योजना के क्रियान्वयन एवं विस्तार हेतु प्राप्त किया जा सकेगा।

7. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस योजना की नियमित समीक्षा की जायेगी एवं आगे आवश्यकतानुसार योजना के विस्तार के संबंध में सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त की जा सकेगी ।

8. इस पर दिनांक 09.09.2025 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मद सं–17 के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 9589523 / पटना, दिनांक– 10/09/2025 10/9/2025

प्रतिलिपि– ई–गजट कोषांग, वित्ति विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 100 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 9589523 / पटना, दिनांक– 10/09/2025 10/9/2025

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव

10/9/2025

ज्ञापांक 9589523 / पटना, दिनांक– 10/09/2025

प्रतिलिपि– राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व परिषद, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्याक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 9589523 / पटना, दिनांक– 10/09/2025

प्रतिलिपि– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग/बजट शाखा, ग्रामीण विकास विभाग/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी/सभी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 9589523 / पटना, दिनांक– 10/09/2025

प्रतिलिपि– आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव